



Real Estate Regulatory Authority
Madhya Pradesh

भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2023/II-P/A-05/ F-455/ 2945 भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023

प्रति,

श्री दीपक कुमार गर्ग,
सम्प्रवर्तक,
117, तुकोगंज नयापुरा,
देवास (म.प्र.)

विषय: परियोजना- "डी एम जी किंग्स पार्क" देवास (Ref. No.461353636431)
के पंजीयन के संबंध में।

-O-

कृपया आपके विषयांकित आवेदन का स्मरण करें।

परियोजना- "डी एम जी किंग्स पार्क" देवास के पंजीयन के लिए आपके आवेदन को प्राधिकरण ने दिनांक 05-10-2023 को स्वीकार किया है, जिस पर आपको परियोजना पंजीयन क्रमांक P-DWS-23-4275 आवंटित किया गया है।

प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि :-

प्राधिकरण द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अंतर्गत निदेश दिनांक 05-10-2023 को जारी करते हुए भू-संपदा परियोजना का पंजीयन स्वीकार किया है, अतः आप अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और दिए गए निदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-10-2023 की प्रमाणित प्रति एवं परियोजना पंजीयन प्रमाण, पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न -

1. प्राधिकरण के आदेश दिनांक 05-10-2023 की सत्यप्रति,
2. परियोजना पंजीयन प्रमाण पत्र मूलतः।


(नीरज दुबे)

सचिव

मण्डल भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

प्रोजेक्ट का नाम- DMG Kings Park, Dewas.

प्रोजेक्ट आई डी:461353636431

कार्यवाही की तारीख,
स्थान

आदेश

05.10.2023

प्रोजेक्ट का नाम

- DMG Kings Park, Dewas.

सम्प्रवर्तक का नाम

- Deepak Kumar Garg, Dewas

प्रोजेक्ट आई डी

- 461353636431

- 1- प्राधिकरण के सूचना पत्र क्रमांक-2822 दिनांक 27.09.2023 से कमी-पूर्ति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका दिनांक 05.10.2023 के अनुसार आवेदक की पूर्व परियोजना डी.एम.जी. सिटी क्षिप्रा, पंजीयन क्रमांक- P-DWS-22-3562 की पूर्णता तिथि 31.12.2022 तक थी, किन्तु आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा पूर्णता हेतु आवेदन किया गया है। उक्त को छोड़कर शेष औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
- 2- प्रकरण में आवेदक- Deepak Kumar Garg, Dewas हैं जो कि व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक हैं। परियोजना- DMG Kings Park, Dewas, Village- Amona, Tehsil & District- Dewas का पंजीयन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत पैरा क्रमांक- 01 में दर्शायी गई कमियों को छोड़कर शेष अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना Village- Amona, Tehsil & District- Dewas के खसस नम्बर- 177/2 कुल रकबा- 1.943 हेक्टेयर में से 1.832 हेक्टेयर पर प्रस्तावित है। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक का स्वामित्व की है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है।
- 3- परियोजना तवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें कुल रकबा- 1.943 हेक्टेयर में से 1.832 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपये 751.33 लाख की लागत से विकसित की जानी हैं, जिसमें सामान्य- 94, ई.डब्ल्यू.एस.- 11, एल.आई.जी.- 06, शॉप/रेसीडेन्सी- 07 कुल- 108 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। पैरा क्रमांक- 01 में दर्शायी गई कमियों को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 30.06.2028 है, किन्तु कॉलोनी विकास अनुमति दिनांक 28.12.2027 तक विधिमान है, तदनुसार परियोजना की पूर्णता अवधि दिनांक 28.12.2027 मान्य की जाती है। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीयन निम्न शर्त के अधीन होगा, :-
(अ) आवेदक की पूर्व परियोजना डी.एम.जी. सिटी क्षिप्रा, पंजीयन क्रमांक- P-DWS-22-3562 की पूर्णता तिथि 31.12.2022 तक थी, किन्तु आवेदक द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा पूर्णता हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक त्रैमासिक प्रतिवेदन सतत रूप से अपलोड करते रहें।
आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

(सुरेन्द्र सिंह राजपूत)
सदस्य

अवर सचिव

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

10/544/23
5.10.23
06.10.23
Ch/8020
06/10/23
9/8266
10/10/23



रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760
Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : **P-DWS-23-4275**

परियोजना का नाम : **डीएमजी किंग्स पार्क, देवास**

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में: श्री/श्रीमती **दीपक कुमारगर्ग** पुत्र श्री/श्रीमती **मन्नूलालगर्ग**
तहसील **देवास** जिला **देवास** राज्य **मध्यप्रदेश**
अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में:

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है:

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
- पंजीयन दिनांक **06-10-2023** से प्रारंभ होकर दिनांक **28-12-2027** तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
- संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
- संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।

4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,13,14,15 एवं नियम 1 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक **09-10-2023**

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण